भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4235
बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>झारखंड की नवीकरणीय ऊर्जा में हिस्सेदारी</u>

4235. श्री विष्णु दयाल रामः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि झारखंड की कुल विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान केवल लगभग 12 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 46 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो इस अंतर को पाटने तथा झारखंड की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) झारखंड के ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की फरवरी, 2025 के लिए स्थापित क्षमता रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में कुल विद्युत क्षमता 3 गीगावाट है तथा कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 0.4 गीगावाट है, जो राज्य की कुल विद्युत क्षमता का 13.33% है। देश में कुल विद्युत क्षमता 470.45 गीगावाट है और कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 214.68 गीगावाट है, जो कुल क्षमता का 45.63% है।

(ख) भारत सरकार ने झारखंड राज्य सहित देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा और गति लाने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की हैं, ताकि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता के लक्ष्य को साकार किया जा सके, जैसा कि अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अलावा, झारखंड राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य ने अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. राज्य ने "झारखंड राज्य सौर नीति 2022" जारी की है, जिसमें राज्य ने 4,000 मेगावाट क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा है और राज्य में सौर क्षमता स्थापित करने हेतु डेवलपर्स को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और नीतिगत प्रावधान भी प्रदान किए हैं।

ii. राज्य नोडल एजेंसी झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (जेआरईडीए) हैः

- राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजना विकास के लिए आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एकल खिड़की पोर्टल विकसित किया जा रहा है।
- चांडिल बांध जलाशय क्षेत्र पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना विकसित की जा रही है।
- झारखंड में 400 मेगावाट वितरित सौर क्षमता वृद्धि करने की संभाव्यता वाले 1,000 "सौर ग्राम" विकसित किए जाएंगे।
- निजी डेवलपर्स द्वारा राज्य में सौर परियोजनाओं के विकास के लिए ईओआई जारी किया है। इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में डेवलपर्स ने भाग लिया और लगभग 850 मेगावाट क्षमता विकसित करने में रुचि दिखाई।

iii. सेकी, राज्य में गेतलसूद बांध पर 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना विकसित कर रहा है, जिसमें सभी अनुमोदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा सेकी और जेबीवीएनएल के बीच विद्युत खरीद करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

(ग) झारखंड राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, अक्षय ऊर्जा परियोजना विकास के लिए भूमि की उपलब्धता राज्य की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। छोटा नागपुर अधिनियम (सीएनटी), 1908 और संथाल परगना काश्तकारी (एसपीटी) अधिनियम, 1876 की प्रयोज्यता के कारण डेवलपर्स के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजना विकास हेतु उपयुक्त बड़े भूखंडों को ढूंढना एक चुनौती रही है।

राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजना विकास के लिए परियोजना अनुमोदन और स्वीकृति प्रक्रियाओं के सुव्यवस्थित न हो पाने के कारण, राज्य में परियोजनाएं विकसित करने के लिए अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स की रुचि में कमी आती है।

इन चुनौतियों को दूर करने और राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजना विकास हेतु अनुकूल निवेश करने के लिए, राज्य नोडल एजेंसी अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स को समय पर स्वीकृति और अनुमति प्रदान करने के लिए एकल खिड़की पोर्टल विकसित कर रही है। राज्य, अक्षय ऊर्जा परियोजना विकास के लिए राज्य में सरकारी और निजी दोनों तरह की भूमि को एकत्रित करने के लिए भूमि बैंक विकसित करने की प्रक्रिया में भी है।

अनुलग्नक

'झारखंड की नवीकरणीय ऊर्जा में हिस्सेदारी' के संबंध में पूछे गए दिनांक 26.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4235 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए, झारखंड राज्य सहित, देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा और गति देने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की हैं। इनमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल हैः

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों [आरईआईएः सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड) द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट प्रति वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों को जारी करने के लिए बोली ट्रैजेक्ट्री जारी की है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ाने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रैजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- निवेशों को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना की गई है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बसाहटों/गांवों के लिए) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाए शुरु की गई हैं।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा अक्षय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।

- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।
- "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की ट्रैजेक्ट्री और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यापार मॉडल दर्शाए गए है।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किया गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनजी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

*****